

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 01-07-2025

विषय सूची

- » लोकतांत्रिक अखंडता की रक्षा में दलबदल विरोधी कानून की भूमिका
- » भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता
- » जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एमएनआरई ने बायोमास दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

संक्षिप्त समाचार

- » हुल दिवस
- » MY भारत 2.0 प्लेटफॉर्म
- » नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)
- » कोम्बुचा
- » भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
- » समुद्री जहाज पर्यवेक्षक मिशन
- » अल्टरमैग्रेट्स
- » बोट्रीटिस सिनेरिया
- » भारत ऊर्जा स्टैक
- » आकाश वायु रक्षा प्रणाली
- » GOSAT-GW उपग्रह

लोकतांत्रिक अखंडता की रक्षा में दलबदल विरोधी कानून की भूमिका

समाचारों में

- हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2024 के राजनीतिक संकट के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में दलबदल विरोधी कानून की प्रमुख भूमिका को रेखांकित किया।

दल-बदल क्या है?

- यह तब होता है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी त्याग देता है, पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, या पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बावजूद सदन से अनुपस्थित रहता है।

दल-बदल विरोधी कानून

- संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे सामान्यतः दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा लगातार पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था, जिससे चुनी हुई सरकारें अस्थिर होती थीं और लोकतांत्रिक जनादेश कमजोर होता था।
- प्रसिद्ध “आया राम, गया राम” घटना ने उस अनैतिक राजनीतिक संस्कृति को दर्शाया जिसमें विधायक व्यक्तिगत लाभ के लिए बार-बार निष्ठा बदलते थे, जिससे मतदाताओं का विश्वास टूटता था और सरकारें अस्थिर होती थीं।

मुख्य प्रावधान

- यह प्रावधान करता है कि कोई भी सदस्य दल-बदल करता है तो उस पर किसी अन्य सदस्य की याचिका पर विधायी सदन का पीठासीन अधिकारी उसे अयोग्य ठहरा सकता है।
- यह दो प्रकार के दल-बदल को मान्यता देता है:
 - (क) वह सदस्य जो स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, जिसके चिन्ह पर वह चुना गया था।

- (ख) वह सदस्य जो अपनी पार्टी द्वारा जारी निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है।

अपवाद

- प्रारंभ में दसवीं अनुसूची दो प्रकार के अपवादों की अनुमति देती थी:
 - (1) यदि किसी दल के एक-तिहाई सदस्य अलग हो जाएं (विभाजन),
 - (2) यदि दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय का समर्थन करें (विलय)।
- 91वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा इस कानून को मजबूत किया गया और दुरुपयोग से बचाने हेतु “विभाजन” (एक-तिहाई अपवाद) का प्रावधान हटा दिया गया।

लोकतंत्र की रक्षा में दल-बदल विरोधी कानून की भूमिका

- निर्वाचन जनादेश की रक्षा:** यह कानून विधायकों को उस पार्टी से विश्वासघात करने से रोकता है, जिससे वे चुने गए हैं, जिससे मतदाताओं की पसंद का सम्मान होता है।
- उदाहरण:** चुनाव के बाद “सौदेबाज़ी संस्कृति” को रोकता है जहाँ विधायक मंत्री पद के लिए निष्ठा बदलते हैं।
- सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना:** अचानक पार्टी बदलने को हतोत्साहित कर यह कानून अविश्वास प्रस्ताव या बजट मत जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर शासन में निरंतरता बनाए रखता है।
- पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देना:** यह कानून पार्टी व्हिप के माध्यम से अनुशासन लागू करता है जो संसदीय लोकतंत्र में समन्वित कार्य के लिए आवश्यक है।
- भ्रष्टाचार और अवसरवाद पर रोक:** निजी लाभ के लिए दल-बदल को हतोत्साहित कर यह कानून रिश्तबोरी और “हॉर्स ट्रेडिंग” जैसी अनैतिक प्रथाओं को कम करता है।

आलोचनाएं

- अध्यक्ष का विवेक और देरी:** अयोग्यता तय करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

- ▲ राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रायः निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर स्पीकर (2020) में कहा कि निर्णय 3 माह की “उचित अवधि” में लिया जाए, पर यह बाध्यकारी नहीं है।
- व्हिप जारी करने की अपारदर्शिता: व्हिप जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी होती है।
 - ▲ संदेह रहता है कि क्या विधायक व्हिप के बारे में ठीक से सूचित हैं।
- न्यायिक सीमाएँ: न्यायालय जल्दी हस्तक्षेप करने से हिचकती हैं क्योंकि “विधानमंडल की स्वायत्तता” का सम्मान करती हैं।
 - ▲ इससे यथास्थिति बनी रहती है और विधायक कार्यकाल समाप्ति तक पद पर बने रहते हैं।
- समूहगत दल-बदल को हतोत्साहित करने में असफलता: कानून अब भी “दो-तिहाई समर्थन” के नाम पर विलय जैसी रणनीति को वैध कर देता है।
 - ▲ हाल के उदाहरण: गोवा (2019), अरुणाचल प्रदेश (2016) दिखाते हैं कि बड़े दल इस कानून का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- निर्णय की समय-सीमा: दसवीं अनुसूची में संशोधन कर निर्णय एक निश्चित अवधि में करना अनिवार्य बनाया जाए, नहीं तो स्वतः अयोग्यता लागू हो।
- व्हिप की पारदर्शी सूचना: व्हिप को समाचार पत्रों या ऑनलाइन माध्यम से प्रकाशित करना अनिवार्य किया जाए।
- स्वतंत्र न्यायाधिकरण: अयोग्यता मामलों को पीठासीन अधिकारी की बजाय एक निष्पक्ष निकाय (संभवतः चुनाव आयोग के अंतर्गत) द्वारा निपटाया जाए, जैसा कि नीचे समितियों ने सुझाव दिया है:
 - ▲ दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
 - ▲ विधि आयोग की रिपोर्ट 170 (1999)
 - ▲ संविधान के कार्य की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2002)

Source: TH

भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता

संदर्भ

- हाल ही में भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भारत-भूटान विकास साझेदारी के पूरे दायरे की समीक्षा की गई।

समाचार से जुड़ी और जानकारी

- कुल 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें भूटान में स्वास्थ्य सेवा, संपर्क और शहरी ढांचे जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया।
- भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024–2029) के लिए ₹10,000 करोड़ (100 अरब रुपये) के समर्थन की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने आगामी विकास सहयोग वार्ता थिंपू में सुविधाजनक तिथि पर आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-भूटान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए थे।
- भारत-भूटान संबंधों की मूल रूपरेखा 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री एवं सहयोग संधि पर आधारित है।
- इस संधि को 2007 में संशोधित किया गया, जिससे भूटान को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई और पारस्परिक संप्रभुता तथा घनिष्ठ सहयोग की पुष्टि हुई।
- 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो” से सम्मानित किया गया — इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे पहले विदेशी नेता बने।

विकासात्मक साझेदारी

- भारत, भूटान की सर्वोच्च विकास साझेदार रहा है और 1971 से उसकी पहली पंचवर्षीय योजना से ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में समर्थन देता रहा है।
- वार्षिक योजना वार्ता (द्विपक्षीय विकास सहयोग वार्ता): सहायता की प्राथमिकताओं और तौर-तरीकों को तय करने हेतु एक संस्थागत तंत्र।

- आवृत्त क्षेत्र: सड़क, बुनियादी ढांचा, डिजिटल संपर्क, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, शहरी विकास आदि।

व्यापारिक संबंध

- भारत लगातार भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है — आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों रूप में।
- 2014–15 में भारत-भूटान व्यापार \$484 मिलियन से बढ़कर 2022–23 में \$1615 मिलियन हो गया।
- भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता (2016):** दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार प्रणाली स्थापित करता है और तीसरे देशों के साथ माल के निर्यात/आयात हेतु भूटान को शुल्क-मुक्त पारगमन प्रदान करता है।

ऊर्जा सहयोग (जलविद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा)

- भारत ने भूटान में 4 प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ विकसित की हैं:
 - चुखा (336 मेगावाट)
 - कुरिचू (60 मेगावाट)
 - टाला (1020 मेगावाट)
 - मंगदेचू (720 मेगावाट)
- वर्तमान में दो परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं:
 - पुनात्सांगचू-I (1020 मेगावाट)
 - पुनात्सांगचू-II (1020 मेगावाट)

अंतरिक्ष सहयोग

- दक्षिण एशिया उपग्रह ग्राउंड स्टेशन 2019 में दोनों देशों द्वारा उद्घाटित किया गया।
- इंडिया-भूटान सैटेलाइट, दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रथम उपग्रह 2022 में प्रक्षेपित किया गया।
- 2024 में अंतरिक्ष सहयोग पर एक संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

फिनटेक (वित्तीय तकनीक)

- RuPay कार्ड दो चरणों (2019 एवं 2020) में शुरू किया गया जिससे दोनों देशों के बीच पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित हो सके।

- 2021 में BHIM ऐप (भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी) भूटान में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना था।

भारत-भूटान फाउंडेशन

- इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, यह भारत और भूटान के लोगों के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व तकनीकी गतिविधियों के माध्यम से आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

भूटान में भारतीय प्रवासी

- वर्तमान में लगभग 50,000 भारतीय भूटान में कार्यरत हैं, विशेषतः बुनियादी ढांचे, जलविद्युत, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में — जो दोनों देशों के बीच जनसंपर्क की निकटता को दर्शाता है।

भारत के लिए भूटान का महत्व

- चीन के विरुद्ध बफर:** भूटान भारत और चीन के बीच एक भौगोलिक बफर का कार्य करता है। चीन के साथ भूटान के राजनयिक संबंध नहीं हैं, परंतु सीमा-सम्बंधी वार्ताएँ जारी हैं।
 - भारत भूटान को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक मानता है और रणनीतिक दृष्टि से त्रि-जंक्शन क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है।
- पड़ोसी प्रथम नीति:** भूटान भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति का मुख्य स्तंभ है।
 - भूटान में स्थिरता दक्षिण एशिया में भारत की शांति और सहयोग की दृष्टि को परिलक्षित करती है।
- व्यापार और आर्थिक सहयोग:** भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेश स्रोत है।
 - विशेष व्यापार और पारगमन समझौता भूटान को भारतीय बाजार तक शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।
 - बीबीआईएन (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) के तहत उप-क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने में भूटान अहम है।

- कनेक्टिविटी और एक्ट ईस्ट नीति:** भूटान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - इसका भू-स्थान संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) की सुरक्षा में सहायक है — जो पूर्वोत्तर भारत से भारत का एकमात्र जमीनी संपर्क है।
 - भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भूटान, दक्षिण-पूर्व एशिया से भूमि संपर्क साधने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 - भारत की सहायता से विकसित सड़क और इंटरनेट आधारभूत ढांचा क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- राजनीतिक और बहुपक्षीय सहयोग:** भूटान प्रायः अंतरराष्ट्रीय मंचों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) पर भारत की स्थिति का समर्थन करता है।
 - भूटान की शांतिपूर्ण विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता भारत की क्षेत्रीय कूटनीति के अनुरूप है।

संबंधों में चुनौतियाँ

- आर्थिक असंतुलन:** भूटान भारत से बहुत अधिक आयात करता है जबकि उसका निर्यात अपेक्षाकृत कम है, जिससे व्यापार घाटा उत्पन्न होता है।
 - व्यापारिक समझौतों के बावजूद, भूटानी उद्योग विविधीकरण में संघर्ष कर रहे हैं।
- चीन कारक और सीमा वार्ता:** भूटान और चीन ने सीमा विवाद को लेकर 24 दौर की वार्ताएँ की हैं।
 - 2021 में “तीन-चरणीय रोडमैप” पर सहमति बनी थी।
 - डोकलाम क्षेत्र में संभावित चीन-भूटान सीमा समझौते को लेकर भारत चिंतित है, क्योंकि यह राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
- कनेक्टिविटी की कमी:** सीमित सड़क और रेल संपर्क आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को बाधित करते हैं।
 - भूटान पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चिंताओं के कारण बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते में सम्मिलित होने में हिचक रहा है।

- पर्यावरण और स्थिरता के मुद्दे:** भूटान का “सकल राष्ट्रीय आनंद” और पर्यावरण संरक्षण का मॉडल, भारत के अवसंरचनात्मक दृष्टिकोण (जैसे राजमार्ग, जलविद्युत) से कभी-कभी टकराता है।
- राजनीतिक संतुलन और स्वायत्तता:** भूटान वैश्विक मंचों में अपनी विदेश नीति को और अधिक स्वतंत्र बनाना चाहता है।

आगे की राह

- भारत और भूटान के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत नींव है, लेकिन बदलती आर्थिक आकांक्षाएँ और दोनों देशों की भू-राजनीतिक स्थितियाँ कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- इनका समाधान पारस्परिक सम्मान, पारदर्शिता और राजनीतिक संवेदनशीलता के साथ किया जाए तो यह विशेष संबंध लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा।
- भारत-भूटान संबंध आपसी विश्वास और लाभ पर आधारित एक आदर्श पड़ोसी साझेदारी का उदाहरण हैं।

Source: IE

जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एमएनआरई ने बायोमास दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

संदर्भ

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत बायोमास कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए लागू होंगे।

बायोमास क्या है?

- बायोमास पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक सामग्री को कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं: वानिकी अपशिष्ट, कृषि कार्यों से उत्पन्न अवशेष, उद्योगों से संसाधित अपशिष्ट, और नगरपालिका/शहरी ठोस अपशिष्ट।
- देश में वार्षिक बायोमास उत्पादन लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है, जिसमें से 228 MMT अधिशेष बायोमास है।

संशोधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ

- **सरलीकृत प्रक्रियाएँ:** कागजी कार्यवाही और अनुमोदन की बाधाओं में कमी, विशेष रूप से MSMEs को लाभ।
 - ▲ ब्रिकेट/पैलेट निर्माण इकाइयों के लिए दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं में ढीला।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** महंगे SCADA सिस्टम की जगह IoT-आधारित निगरानी या त्रैमासिक डेटा प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा।
 - ▲ डिजिटल जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए संचालन लागत में कमी।
- **बाजार लचीलापन:** पहले आवश्यक दो-वर्षीय अनुबंध की जगह सामान्य बिक्री समझौता, जिससे व्यवसाय बाजार मांग के अनुसार समायोजन कर सकें।
- **प्रदर्शन-आधारित सब्सिडी:**
 - ▲ यदि परियोजना की दक्षता $\geq 80\%$ है, तो पूरी केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) दी जाएगी।
 - ▲ 80% से कम दक्षता पर, प्रोपोर्शनल (प्रो-राटा) आधार पर सब्सिडी दी जाएगी।
- **निरीक्षण मानदंडों का युक्तिकरण:**
 - ▲ प्रदर्शन निरीक्षण अब या तो कमीशनिंग की तिथि या सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि से 18 महीनों के अंदर किया जा सकता है।
 - ▲ प्रदर्शन सत्यापन के लिए संचालन आवश्यकता को तीन दिनों (16 घंटे/दिन) से घटाकर एक 10 घंटे की निरंतर अवधि कर दिया गया है।
- **क्षेत्रीय समन्वय:**
 - ▲ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के NCR जिलों के बायोमास पैलेट उत्पादक MNRE या CPCB की सहायता योजनाओं में से लाभप्रद विकल्प चुन सकते हैं।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP)

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) अधिसूचित किया।

- इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है।
- कुल बजट परिव्यय ₹1715 करोड़ है, जिसमें से पहले चरण के लिए ₹858 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में शामिल उप-योजनाएँ:

1. वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम:

- ▲ बड़े बायोगैस, बायो-CNG और पावर प्लांट्स की स्थापना का समर्थन (MSW से पावर परियोजनाओं को छोड़कर)।

2. बायोमास कार्यक्रम:

- ▲ ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण तथा उद्योगों में बायोमास (गन्ने की खोई को छोड़कर) आधारित को-जनरेशन को बढ़ावा देने हेतु सहायता।

3. बायोगैस कार्यक्रम:

- ▲ ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का समर्थन।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

हूल दिवस

संदर्भ

- 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1855 के संताल विद्रोह / संथाल हूल की वर्षगांठ को चिह्नित करता है — यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक किसान आंदोलनों में से एक था।

संताल हूल

- 1855 का संथाल हूल साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चार भाइयों — सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू, तथा बहनों फूलो और झानो ने किया था।
- संतालों ने केवल ब्रिटिशों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि ऊंची जातियों, ज़मींदारों, दरोगाओं और साहूकारों के खिलाफ भी संघर्ष किया, जिन्हें सामूहिक रूप से ‘दिकू’ कहा गया।

- महत्व: इस विद्रोह के परिणामस्वरूप संताल परगना नियंत्रण अधिनियम, 1876 और छोटानागपुर नियंत्रण अधिनियम, 1908 लागू किए गए, जिनका उद्देश्य आदिवासी भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्ता की रक्षा करना था।

विद्रोह की उत्पत्ति

- 1832 में, ब्रिटिशों ने वर्तमान झारखंड में एक क्षेत्र को दामिन-ई-कोह के रूप में चिह्नित किया, जिसे संताल जनजाति के लिए बसावट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया था।
 - हालाँकि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण बसावट और कृषि विकास था, लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र बाहरी लोगों (दिकुओं) द्वारा शोषण का केंद्र बन गया, जिससे संतालों में भूमि से बेदखली की स्थिति उत्पन्न हुई।
- मुर्म भाइयों ने लगभग 60,000 संतालों का नेतृत्व करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया।
- ब्रिटिशों ने सिद्धो को 1855 में और कान्हो को 1856 में फाँसी दे दी।

Source: AIR

MY भारत 2.0 प्लेटफॉर्म

समाचारों में

- युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के साथ MY भारत 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

MY भारत

- यह एक गतिशील प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जो भारत के युवाओं को संरचित और सार्थक तरीके से जोड़ने और सक्रिय करने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
- यह युवाओं को डिजिटल प्रोफ़ाइल बनाने, स्वयंसेवी और शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने, मेंटर्स और

- साथियों से जुड़ने, और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।
- इसे आधिकारिक रूप से 2023 में लॉन्च किया गया था और अब तक 1.76 करोड़ से अधिक युवा और 1.19 लाख से अधिक संगठन MY भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

MY भारत 2.0 प्लेटफॉर्म

- यह एक उन्नत राष्ट्रीय युवा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और आपस में जोड़ना है।
- यह स्केलेबिलिटी के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित AI-संचालित नई विशेषताएँ शामिल होंगी:
 - स्मार्ट सीवी बिल्डर
 - व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफ़ाइल
 - AI चैटबॉट्स
 - स्पीच-टू-टेक्स्ट
 - व्हाट्सएप इंटीग्रेशन साथ ही, यह बॉयस नेविगेशन के माध्यम से बेहतर पहुंच भी प्रदान करेगा।

Source: PIB

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)

सन्दर्भ

- विगत दो दशकों की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्टों से पता चलता है कि बिहार जन्म पंजीकरण के मामले में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पीछे रहा है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS)

- नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), जिसे सामान्यतः जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म का निरंतर और स्थायी आधार पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत रिकॉर्ड करना है।

- संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
- शासन:** जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 द्वारा।
- प्रशासन:** भारत के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक (RGI) के कार्यालय द्वारा।
- नागरिक पंजीकरण से प्राप्त महत्वपूर्ण आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)

- नागरिक पंजीकरण गतिविधियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को अधिनियमित किया गया।
- इन संकेतकों पर विश्वसनीय और निरंतर डेटा उत्पन्न करने के उद्देश्य से, भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने 1964-65 में प्रायोगिक रूप से और 1969-70 से पूर्ण रूप से भारत में जन्म और मृत्यु के नमूना पंजीकरण योजना (SRS) की शुरुआत की।
 - तब से, SRS नियमित रूप से डेटा प्रदान कर रहा है।

Source: TH

कॉम्बुचा

समाचारों में

- हाल ही में ब्राजील में की गई एक 8-सप्ताह की अध्ययन में पाया गया कि कॉम्बुचा आंतों के बैक्टीरिया में सुधार करता है — विशेष रूप से मोटापे से ग्रस्त लोगों में — क्योंकि यह लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ाता है और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को कम करता है। हालांकि, इसने ब्लड शुगर या सूजन के संकेतकों में कोई सुधार नहीं दिखाया।

कॉम्बुचा

- यह एक किण्वित चाय है और यह उन कुछ पेयों में से एक है जो कम चीनी और कैफीन के साथ जटिलता और बनावट प्रदान करता है।

- इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 220 के आसपास पूर्वोत्तर चीन में हुई थी और इसे ऊर्जाबान और विषहरण प्रभावों के लिए सराहा गया था।
- भारत में कॉम्बुचा की लोकप्रियता बढ़ रही है — इसका बाजार 2020 में \$45 मिलियन से बढ़कर 2024 में \$102 मिलियन हो गया है।
- कॉम्बुचा को पाचन, प्रतिरक्षा और चयापचय लाभों के लिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन मानव-आधारित प्रमाण सीमित हैं।

Source: TH


भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ तक पहुँच के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ग्लोबल साउथ

- परिभाषा:** ग्लोबल साउथ उन देशों को संदर्भित करता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कम विकसित हैं, और मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में स्थित हैं।
 - हालांकि इसे ‘साउथ’ कहा जाता है, लेकिन सभी ग्लोबल साउथ देश दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आते (उदाहरण: भारत और चीन उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं)।



Source : [56]

- शब्द की उत्पत्ति:** यह शब्द शीत युद्ध काल के दौरान गढ़ा गया था और ब्रांट रिपोर्ट (1980) के बाद लोकप्रिय हुआ, जिसने वैश्विक असमानताओं को उजागर करने के लिए एक वैचारिक रेखा — ब्रांट लाइन — का उपयोग किया।

विशेषताएँ:

- इन देशों को प्रायः गरीबी, खाद्य संकट, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा, ऋण, आतंकवाद और संघर्ष जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- विश्व के अधिकांश कम विकसित देश इसी समूह में आते हैं और उन्हें स्थायी विकास के लिए वैश्विक समर्थन और न्यायसंगत व्यवहार की आवश्यकता होती है।
- ग्लोबल साउथ वैश्विक नीति-निर्माण में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सामूहिक आवाज़ चाहता है — विशेष रूप से व्यापार, बौद्धिक संपदा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर।

भारत की भूमिका

- भारत लंबे समय से ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने वाला एक प्रमुख नेता रहा है, जो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अन्य विकासशील देशों के साथ साझा विकास लक्ष्यों पर आधारित है।
- भारत ने कई प्रमुख आंदोलनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे:
 - 1955 का बांडुंग सम्मेलन,
 - 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM),
 - और 1964 में ग्रुप ऑफ 77 (G-77)। ये मंच समानता, आत्मनिर्णय, बहुपक्षवाद और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे।
- हाल के वर्षों में भारत ने 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' जैसी पहलों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ अपनी भागीदारी को और मजबूत किया है।

- इसका तीसरा संस्करण अगस्त 2024 में आयोजित हुआ, जिसमें 120 से अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया।
- ये प्रयास भारत की समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग की दृष्टि के अनुरूप हैं, जो "एक पृथकी, एक परिवार, एक भविष्य" के दर्शन पर आधारित है।

Source :IE

समुद्री जहाज पर्यवेक्षक मिशन

संदर्भ

- भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने पहली बार 'क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' की शुरुआत की है।

विवरण

- समुद्र में पर्यवेक्षक के रूप में यह सहभागिता भारतीय तटरक्षक बल, जापान तटरक्षक बल, अमेरिकी तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल के बीच अपनी तरह की प्रथम पहल है।
- यह पहल 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाए गए विलमिंगटन घोषणा-पत्र पर आधारित है।
- यह मिशन एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्वाड की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- भारत की भागीदारी इसके रणनीतिक 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) सिद्धांत को रेखांकित करती है और इसके वृहद इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) का समर्थन करती है।

Source: TH

अल्टरमैग्रेट्स

समाचारों में

- एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक नवीन रूप से पहचाने गए चुंबकीय पदार्थ —

क्रोमियम एंटिमोनाइड (CrSb) में एक असाधारण गुण की खोज की है।

- यह पदार्थ विश्व का प्रथम ज्ञात अल्टरमैग्नेट बन गया है जो दिशा-निर्भर चालकता ध्रुवीयता (Direction-Dependent Conduction Polarity - DDCP) प्रदर्शित करता है — यानी यह एक ही क्रिस्टल में केवल दिशा के आधार पर p-प्रकार और n-प्रकार दोनों चालक के रूप में कार्य करता है।


अल्टरमैग्नेट क्या हैं?

- अल्टरमैग्नेट्स चुंबकीय पदार्थों का एक नवीन वर्ग हैं जो एंटी-फेरोमैग्नेट्स की आंतरिक स्पिन व्यवस्था को फेरोमैग्नेट्स से जुड़े कार्यात्मक लाभों के साथ अद्वितीय रूप से जोड़ते हैं।


This is how they work

Types of material


Non-magnetic




Ferromagnetic



Antiferromagnetic



Altermagnetic



Source: *The Economist*

- हालाँकि इनमें आंतरिक चुंबकीय क्रम होता है, फिर भी ये बाह्य रूप से शून्य कुल चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
- इनकी “छिपी हुई” चुंबकीय समस्पता इलेक्ट्रॉन स्पिन और परिवहन गुणों पर अभूतपूर्व नियंत्रण की अनुमति देती है — वह भी बिना किसी बाहरी चुंबकीय संकेत के।

Source: PIB

बोट्रीटिस सिनेरिया

संदर्भ

- हाल ही में एक अध्ययन में यह प्रकटीकरण हुआ है कि बोट्राइटिस सिनेरिया (*Botrytis cinerea*) को क्लोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कोशिकाओं के किसी भी एक नाभिक (nucleus) में पूरा गुणसूत्र सेट उपस्थित नहीं होता।
- इसके बजाय, इसका आनुवंशिक पदार्थ कई नाभिकों में वितरित होता है — यह खोज कोशिका जीवविज्ञान के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देती है।

परिचय

- बोट्राइटिस सिनेरिया, जिसे सामान्यतः नोबल रॉट (noble rot) कहा जाता है, एक नेक्रोट्रॉफिक कवक (necrotrophic fungus) है जो 200 से अधिक पौधों की प्रजातियों को संक्रमित करता है।
- यह विशेष रूप से वाइन निर्माण में प्रसिद्ध है, जहाँ यह अंगूरों को संक्रमित कर उन्हें सुखाता है और उनमें शर्करा की सांद्रता बढ़ाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली मीठी वाइन जैसे कि सॉर्टर्न (Sauternes, फ्रांस) और टोकेर्ड अस्जू (Tokaji Aszú, हंगरी) बनाई जाती हैं।
- हालाँकि नियंत्रित परिस्थितियों में यह लाभकारी हो सकता है, लेकिन यह कृषि में एक प्रमुख पौध रोगजनक है, जो स्ट्रॉबेरी, टमाटर और लेट्यूस जैसी फसलों में ग्रे मोल्ड रोग का कारण बनता है।

बोट्राइटिस सिनेरिया से जुड़ी चिंताएँ

- यह कवक नमी और ठंडी जलवायु में पनपता है और विशेष रूप से ग्रीनहाउस में तेजी से फैलता है।
- यह बीजाणु (conidia) उत्पन्न करता है जो हवा, पानी या कीड़ों के माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं।
- इसने कई फफूंदनाशकों (fungicides) के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जिससे रोग नियंत्रण कठिन हो गया है और फसल हानि बढ़ गई है।

Source: TH

भारत ऊर्जा स्टैक

संदर्भ

- विद्युत मंत्रालय ने भारत ऊर्जा स्टैक (India Energy Stack) — जो कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure - DPI) है — को डिज़ाइन करने हेतु नंदन नीलेकणी के मार्गदर्शन में एक 17-सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है।

भारत ऊर्जा स्टैक क्या है?

- भारत ऊर्जा स्टैक एक डिजिटल ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत की विखंडित ऊर्जा पारिस्थितिकी प्रणाली को एकीकृत करना है।
- यह उत्पादकों, उपभोक्ताओं, ग्रिड ऑपरेटरों, नियामकों और ऊर्जा फिनेटेक के बीच वास्तविक समय में समन्वय को सक्षम बनाता है।
- यह पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार, विकेंद्रीकरण, कार्बन ट्रैकिंग, और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को समर्थन देता है।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को इंटरऑपरेबल (संगत), स्केलेबल (विस्तार योग्य), और पारदर्शी बनाना है।

ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत डिजिटल ढांचे की आवश्यकता

- भारत का ऊर्जा क्षेत्र इसकी समवर्ती शासन संरचना के कारण विखंडित है। इससे निम्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:
 - उपभोक्ताओं/संपत्तियों/हितधारकों के लिए कोई विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) नहीं है।
 - सुसंगत और वास्तविक समय डेटा की कमी है।
 - विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच अनुकूलता की कमी, जिससे विस्तार में बाधा आती है।
 - इंटरऑपरेबिलिटी (पारस्परिक संगतता) का अभाव, जिससे विभिन्न डिस्कॉम्प्स और क्षेत्रों के बीच एकीकरण संभव नहीं हो पाता।

Source: IE

आकाश वायु रक्षा प्रणाली

समाचारों में

- ब्राजील ने भारत के आकाश वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखाई है, जो कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक महत्वपूर्ण विकास है।

आकाश वायु रक्षा प्रणाली के बारे में

- आकाश एक मध्यम दूरी की, मोबाइल सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (Surface-to-Air Missile - SAM) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को निष्क्रिय करना है — वह भी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों अभियानों में — ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों और बिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- आकाश प्रणाली भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल का एक उत्पाद है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के सहयोग से विकसित किया है।
- इसका उद्देश्य भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, विशेष रूप से छोटी और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर प्रणालियों के बीच की खाई को भरना।
- इसकी मारक क्षमता 4.5 किमी से 25 किमी तक है, यह 100 मीटर से 20 किमी की ऊँचाई तक लक्ष्यों को भेद सकती है, और यह ध्वनि की गति से तेज (Mach 1.8 से 2.5) गति से उड़ान भर सकती है।

Source: TH

GOSAT-GW उपग्रह

संदर्भ

- जापान ने जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे कम करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत GOSAT-GW उपग्रह को H-2A रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

उपग्रह के बारे में

- **GOSAT-GW** (ग्रीनहाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह) इस मिशन की तीसरी श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में कार्बन, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी करना है।
- एक वर्ष के अंदर, यह उपग्रह समुद्र सतह के तापमान और वर्षा जैसे आंकड़े बहुत उच्च रिजॉल्यूशन में विश्व भर के उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना शुरू करेगा, जिनमें अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) भी शामिल है।

क्या आप जानते हैं?

- यह प्रक्षेपण जापान के विश्वसनीय H-2A रॉकेट की 50वीं और अंतिम उड़ान थी, जो 2001 से संचालन में रहा है और इसका सफलता दर लगभग पूर्ण रही है।
- अब H-2A की जगह पूरी तरह से आगामी पीढ़ी का H3 रॉकेट लेगा, जिसे अधिक लागत-कुशल और बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम बनाया गया है, ताकि जापान की वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाज़ार में स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

Source: TH

